



WWW.APMA.BIZ

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : [apma1965@yahoo.in](mailto:apma1965@yahoo.in) Website : [www.apma.biz](http://www.apma.biz)

R.K. GUPTA  
PRESIDENT  
Mobile : 9891008503

VISHNU BHARGAVA  
Hony. General Secretary  
Mobile : 9811139614

VINAY NARANG  
Hony. Treasurer  
Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016-2018/179

दिनांक : 1-9-2017

**करदाता ध्यान दें !**

**जीएसटीआर-1 फाइल करने के लिए तैयार हो जाएं!**

जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत सामान्य व आकस्मिक करदाता को आउटवर्ड सप्लाय का विवरण जीएसटीआर-1 फॉर्म में घोषित करना है।

जीएसटीआर-1 फाइल करने की अवधि

- जुलाई, 2017 में की गई सप्लाय के लिए जीएसटीआर-1 को 1 से 5 सितंबर, 2017 के बीच भरना है।
- पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 तैयार करने के लिए इनवाइस के विवरण अपलोड करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल पर 24 जुलाई, 2017 से उपलब्ध है।

आप जीएसटीआर-1 निम्न तरीकों से फाइल कर सकते हैं

- यदि करदाता को सीमित एन्ट्रियां करनी हैं तो विवरण सीधे जीएसटी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। उन्हें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा पोर्टल पर लॉग-इन करना है और रिटर्न डैशबोर्ड पेज पर जाना है, जहां जीएसटीआर-1 टाइल पर उपलब्ध 'प्रीपेअर ऑनलाइन' टैब पर क्लिक कर वे ऑनलाइन रिटर्न तैयार कर सकते हैं।
- एक्सेल आधारित ऑफलाइन टूल <https://www.gst.gov.in/download/returns> पर उपलब्ध है। करदाता इसे अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड और सेव कर सकते हैं और इंटरनेट से जुड़े बिना ऑफलाइन माध्यम से रिटर्न तैयार कर सकते हैं।

ऊपर बताए गए ऑफलाइन टूल की मुख्य विशेषताएं और लाभ नीचे दिए गए हैं

- एक्सेल यूटिलिटी से ऑफलाइन मोड में 19,000 लाइन आइटम तक के इनवाइस डाटा भर सकते हैं।
- ऑफलाइन टूल की मदद से करदाता जीएसटीआर-1 में इनवाइस एक स अधिक बार भी दिन/सप्ताह/महीने में कभी भी अपलोड कर सकते हैं।
- सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर-1 में अपलोड किए गये इनवाइस और अन्य विवरण प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2ए में ऑटो पॉपुलेट(स्वतः भरना) हो जाएंगे और प्राप्तकर्ता द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होंगे।

कृ०प०उ०.....2

- इनवाइस 500 से अधिक होने पर करदाता के देखने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि वे ऑफलाइन टूल की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में एडिट कर अपलोड भी कर सकते हैं।
- जिन करदाताओं के इनवाइस बहुत अधिक संख्या में हैं, वे सीधे जीएसटी सिस्टम पर अपनी अकाउंटिंग एप्लीकेशन और किसी सुरक्षित एमपीएलएस नेटवर्क कनेक्शन के जरिये जीएसटी सिस्टम से जुड़ने के लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की मदद से जीएसटीआर-1 का विवरण भर सकते हैं।
- कृपया इनवाइस अपलोड करन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। अपनी सुविधा अनुसार हर दिन या हर हफ्ते इनवाइस अपलोड कर सकते हैं।
- किसी अन्य सहायता के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल के हेल्प सेक्शन पर जाएं या लिंक <https://www.gst.gov.in/help/helpmodules/> पर क्लिक करें।

**किसे फॉर्म जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करना है।**

- i. इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर
- ii. कंपोजिशन डीलर
- iii. सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इनफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस या रीट्रीवल सर्विस
- iv. अनिवासी कराधेय व्यक्ति
- v. करदाता जिन्हें स्रोत पर कर संग्रह करना है (टीसीएस)
- vi. करदाता जिन्हें स्रोत पर कर कटौती करनी है (टोडीएस)

---

सरकूलर नं0 अपमा/2016-2018/180

**E-Way Bill**

On 30.08.2017 E-Way bill rules were notified by the Central Board of Excise and Customs. ([www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in)) in which they have given the list of items exempted from E-Way bill. These items are largely consumables, many of which do not attract GST.

The E-Way bill process requires the supplier to upload details on the GSTN portal. The third-party transporter will upload further details to create final E-Way bill. A copy of this bill or the E-Way bill number either physically or mapped to a radio frequency device needs to be carried by the transporter. A buyer registered under GST will have access to the E-Way bill via the portal and within 72 hours of such details being reflected the buyer has to accept or reject the same. If he fails to do so, his acceptance will be assumed.

The validity period of the E-Way bill for up to 100 km is one day and for every additional 100 km an extra day is added.

**The date from which the rules will come into effect is yet to be notified.**

साथियों, भविष्य में E-Way bill के सन्दर्भ में जो भी नई सूचना अपमा के संज्ञान में आती रहेगी उसे आपकी संस्था आप तक पहुँचाने का कार्य करती रहेगी।

---

( राकश कुमार )  
जनसम्पर्क अधिकारी